



## राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

(नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद)

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)  
धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या-66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110 026  
दूरभाष संख्या 25228548 एवं 25229753  
ई. मेल ravidyapeethdelhi@gmail.com

### गुरु शिष्य परम्परा के अन्तर्गत गुरुजनों की नियुक्ति-2019-20

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह संस्थागत रूप से अर्हता प्राप्त आयुर्वेद वैद्यों (डॉक्टरों) के प्रशिक्षण हेतु 'गुरु शिष्य परम्परा' के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

#### पाठ्यक्रम: -

**राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रमाण पत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम** : यह आयुर्वेदिक स्नातकों के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण चिकित्सा कर्माभ्यास (क्लिनिकल प्रैक्टिस)/आयुर्वेदिक औषधालय (आयु0 फार्मसी) में दक्षता रखने वाले प्रख्यात कर्माभ्यासियों/आयुर्वेदिक संस्थाओं द्वारा दिया जाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, प्रख्यात आयुर्वेदिक कर्माभ्यासियों/प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों/फार्मसियों से रा.आ.वि.का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के प्रशिक्षण के लिए भावी गुरुजनों/प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में उन्हें नामावली (सूचीबद्ध) किए जाने हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित कर रहा है। यह नामावली पूर्णतया अस्थायी आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। चुने गए विद्वानों/संस्थाओं को उनके द्वारा रा.आ.वि.का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों को दिए गए प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि के आधार पर मानदेय दिया जायेगा।

#### गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए पात्रता का मानदण्ड (राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम)

चयन के लिए निम्नलिखित पृथक-पृथक मानदण्ड वाले गुरुजनों की दो श्रेणियाँ रखी गई हैं :-

1. व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए मानदण्ड।
2. संस्थाओं के लिए मानदण्ड।

#### 1. व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए मानदण्ड।

- i. भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम 1970 की धारा 17 के तहत आयुर्वेद के चिकित्सक जो किसी भी राज्य के पंजी में नामांकित हों।
- ii. आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- iii. आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विषय में आयुर्वेदिक सामान्य अथवा विशिष्ट चिकित्सालय कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव।
- iv. किसी भी स्थान अथवा किसी भी पद पर नियमित आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए। यह शर्त रोजगार को छोड़कर अन्य मानार्थ पदों के लिए बाधक नहीं होगी।
- v. प्रतिदिन कम से कम 25 रोगियों वाला एक बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) होना चाहिए।
- vi. शल्य चिकित्सा कर्माभ्यास के लिए बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) में रोगियों की संख्या

- प्रतिदिन 15 होनी चाहिए और एक दिन में की गई शल्य क्रिया की संख्या 5 होनी चाहिए।
- vii. आयुर्वेद फार्मसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मसी होनी चाहिए जो कम से कम 20 वर्ष से कार्य कर रही हो।
- viii. युवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों (शिष्यों) को स्वयं सीखे हुए ज्ञान का प्रशिक्षण देने के तरीके से प्रशिक्षित करने तथा बिना किसी आपत्ति के अपने चिकित्सा ज्ञान एवं कौशलों को सिखाने का इच्छुक होना चाहिए।

## 2. संस्थाओं के लिए मानदण्ड :

- i. आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केन्द्र।
- ii. न्यूनतम 50 शय्याओं वाला अंतरंग विभाग (आई.पी.डी.) और प्रतिदिन 200 रोगियों वाला बहिरंग विभाग (ओ.पी.डी.) का आयुर्वेदिक चिकित्सालय।
- iii. केन्द्र कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा हो।
- iv. केन्द्र की अच्छी ख्याति होनी चाहिए और उसे विभिन्न विशिष्ट दशाओं के आयुर्वेदिक उपचार के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए।
- v. फार्मसी के मामले में उसके पास जी.एम.पी. प्रमाणपत्र, औषध नियंत्रण निगरानी सुविधा तथा अनुसन्धान एवं विकास विभाग होना चाहिए।
- vi. संस्थान के प्राधिकारियों को, रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए उनके चिकित्सालय/फार्मसी प्रशिक्षण से संबंधित सभी स्थानों पर हर सम्भव पहुँच देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

संस्था से अपेक्षा की जाती है कि 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)' प्रशिक्षण के सन्दर्भ में प्रशिक्षण प्रभारी के रूप संस्था के एक वरिष्ठ संकाय की पहचान करें और इसे आवेदन पत्र में इंगित करें।

'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)' प्रशिक्षण के लिए गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले गुरुजनों/संस्थाओं को प्रतिमाह ₹ 15820/-का मानदेय और समय-समय पर लागू दरों पर महंगाई भत्ता (D.A.) दिया जायेगा। दो शिष्यों तक प्रशिक्षण के लिए ₹ 5000/-का प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जायेगा। प्रत्येक अतिरिक्त शिष्य के लिए ₹ 2000/-की दर से अतिरिक्त मानदेय का भुगतान भी किया जायेगा।

प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सालय विशेषज्ञों (वैद्यों) और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य रक्षा संस्थाओं/आयुर्वेदिक औषधालयों (फार्मसी) से निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी में सादे कागज पर आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस प्रारूप को **04 जुलाई, 2019 तक या उससे पहले सॉफ्ट और हार्ड कापी दोनों में अनिवार्य रूप से** उपर्युक्त पते पर निदेशक को आवेदनपत्र भेजे। पात्रता की निर्णायक तिथि **04.07.2019** होगी।

निदेशक, रा.आ.वि.

**‘रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम’ के लिए व्यक्तिगत गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने हेतु आवेदन।**

1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	आयु (04.07.2019 को)	
5	अर्हता (प्रदाता संस्थान का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष)	
6	मेडिकल रजिस्ट्रेशन (बोर्ड का नाम, संख्या एवं पंजीयन वर्ष)	
7	केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत प्रदत्त कोई सेवा	
8	वर्तमान डाक पता (पिनकोड सहित)	
9	स्थायी पता (पिनकोड सहित)	
10	आधार और पैन नं.	
11	मोबाइल नं: और ई-मेल	
12	कर्मभ्यास के स्थान का पता (पिनकोड सहित)	
13	आयुर्वेदिक चिकित्सालयी कर्मभ्यास में अनुभव	
14	कोई शिक्षण अनुभव (यदि हों, तो विवरण)	

15	कर्मभ्यास में विशेषज्ञता का क्षेत्र (विवरण अलग कागज पर प्रस्तुत करें)	
16	ओपीडी में प्रतिदिन देखे जाने वाले रोगियों की औसत संख्या	
17	क्या आई.पी.डी. रखते हैं, यदि हां, तो शय्याओं की संख्या	
18	शय्या लेने का औसत अनुपात (वार्षिक)	
19	चिकित्सालय की अन्य इकाईयां (i) औषधि निर्माण खण्ड (ii) पंचकर्म (iii) क्षारसूत्र (iv) कोई अन्य	
20	क्लिनिक/चिकित्सालय की अवसंरचना संबंधी ब्यौरा (कुल क्षेत्रफल, कमरों की संख्या, वार्डों एवं शय्याओं की संख्या, उपलब्ध सुविधाएं)	
21	दशाएं/रोग जिनके लिए विशिष्ट उपचार उपलब्ध हैं	
22	प्रकाशन (रोगीवृत्त रिकार्ड/शोधपत्र/प्रकाशित पुस्तकें (लेखों/पुस्तकों की सूची संलग्न करें)	
23	संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं की संख्या,जिनमें भाग लिया हों	
24	भाषाओं में दक्षता/प्रवाह (कृपया भाषा का नाम लिखें) (i) पढ़ना (ii) लिखना (iii) बोलना	
25	क्या आप किसी महाविद्यालय/अस्पताल में मानद रूप से नियमित/अल्पावधि आधार पर कार्यरत हैं?	
26	आपके चिकित्सालयी अनुभव को मान्यता देने के लिए कोई मान्यता/पुरस्कार/मानद पद	
27	अन्य कोई विशेषता जो आपको/आपके संस्थान को सूचीबद्ध किये जाने हेतु समर्थन प्रदान करती हो (100-150 शब्दों में बताये)	

--	--	--

**संलग्नक :**

आयुर्वेदिक योग्यताओं एवं चिकित्सा पंजीकरण के प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियाँ ।

**घोषणा**

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त ब्यौरे, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास हैं, सही हैं। मैं यह भी विश्वास दिलाता/दिलाती हूँ कि यदि मुझे अवसर दिया जाता है तो मैं अपने पूर्ण आयुर्वेदिक ज्ञान एवं चिकित्सालय कौशल से 'रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम' के प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। मैं रा.आ.वि.का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए समय-समय पर निर्गत नियमों/विनियमों का पालन करने का भी आश्वासन देता/देती हूँ।

दिनांक:

हस्ताक्षर

**‘रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम’ के लिए संस्थागत प्रशिक्षण केन्द्र  
(संस्थागत गुरु) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने हेतु आवेदन।**

1.	संस्था का नाम	
2.	संस्था का प्रबन्धन प्राधिकारी	
3.	संस्था का पूर्ण पता (पिनकोड सहित), ई-मेल, मोबाइल नं., फ़ैक्स, वेबसाइट इत्यादि के साथ	
4.	संस्था का पैन नं.	
5.	पंजीकरण संख्या (अस्पताल/फार्मसी के रूप में पंजीकरण)	
6.	एन.ए.बी.एच. की मान्यता/प्रत्यायन	
7.	अस्पताल कार्यारंभ की तिथि	
8.	अस्पताल कितने वर्षों से कार्य कर रहा है	
9.	ओ.पी.डी. में प्रतिदिन रोगियों की औसत संख्या	
10.	आई.पी.डी. में शय्याओं की संख्या	
11.	संस्था की विशेषज्ञता (जिन दशाओं में विशिष्ट उपचार उपलब्ध है उनका उल्लेख करें)	
12.	अवसंरचना संबंधी ब्यौरे <ul style="list-style-type: none"> <li>• कुल क्षेत्रफल</li> <li>• वार्डों की संख्या</li> <li>• परामर्शदाताओं की संख्या</li> </ul>	
13.	चिकित्सालय की अन्य इकाईयां (i) औषधि निर्माण खण्ड (ii) पंचकर्म (iii) क्षारसूत्र	

	(iv) कोई अन्य	
14.	शिष्यों के प्रशिक्षण से संबंधित अस्पताल का प्रत्यय पत्र	
15.	अस्पताल से प्रकाशित कोई अनुसन्धान-लेख/रोगीवृत्त रिपोर्ट/रोगी मामलों की शृंखला।	
16.	प्रभारी प्रशिक्षक का नाम एवं पदनाम (जो रा.आ.वि. के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों को प्रशिक्षित करेगा)	
17.	प्रभारी प्रशिक्षक का विवरण देने के लिए व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए दिये गये प्रोफार्मा में अपेक्षित जानकारी दें।	
18.	फार्मसी के मामले में, निम्नलिखित ब्यौरे दें :- <ul style="list-style-type: none"> <li>● सामान्यतः तैयार की गई औषधियाँ</li> <li>● जी.एम.पी. प्रमाणपत्र संख्या</li> <li>● औषध निर्माण लाईसेंस संख्या</li> <li>● कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु सुविधा</li> </ul> <b>(आवश्यक होने पर अलग पेज संलग्न करें)</b>	

**अनुलग्नक** : अस्पताल/फार्मसी पंजीकरण, जी.एम.पी./एन.ए.बी.एच., प्रमाणपत्रों, प्रशिक्षण प्रभारी की आयुर्वेदिक अर्हताएं एवं पंजीकरण की छायाप्रतियाँ।

### घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सूचनाएं, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास हैं, सही हैं।

दिनांक:

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
एवं कार्यालय की मुहर